

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी

सामुदायिक समन्वयक (प्रशिक्षु) के चयन से संबंधित प्राप्त आवेदनों के आलोक में लिए गए निर्णय की सूचना

विज्ञापन सं० PR172390(JSLPS)17-18 के आलोक में JSLPS के अंतर्गत सामुदायिक समन्वयक प्रशिक्षु पद हेतु आयोजित चयन प्रक्रिया के आधार पर नोटिस सहित जिलावार मेधा सूची JSLPS के अधिकारिक वेबसाइट www.jslps.org पर दिनांक 23.09.2018 को प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित मेधा सूची के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त आवेदनों की समीक्षा, एक अधिकारिक गठित समिति द्वारा की गई। समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों के आलोक में और समर्पित प्रमाण पत्रों का अवलोकन करते हुए निम्नवत निर्णय लिया गया।

क्रम सं०	नाम एवं अनुक्रमांक	आवेदित जिला एवं आवेदन श्रेणी	आवेदन	विवरण	अनुशंसा/अभ्युक्ति
1	बबिता कुमारी भारती 0111500614	गढ़वा अनुसूचित जाति	कोटिवार मेधा सूची में BC-1 दर्ज है जबकि SC श्रेणी से है।	आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में SC श्रेणी में ही आवेदन दिया गया था तथा प्रमाण पत्र सत्यापन में 2014 में SDO, नगर उंटारी, गढ़वा से निर्गत किया गया है। टंकीय त्रुटि की वजह से अंतिम रूप से तैयार मेधा सूची में आवेदक की श्रेणी BC-1 दर्ज हो गया है।	बबिता कुमारी भारती (अनुक्रमांक-011500614) को गढ़वा जिले के मेधा सूची में SC श्रेणी में लेने के उपरांत संशोधित मेधा सूची में बबिता कुमारी भारती (अनुक्रमांक-011500614) का मेधा क्रम SC W/L 45 माना गया है। इसी के अनुरूप आगे का रिजल्ट क्रमांक संशोधित माना जाएगा।
2	दिनेनाथ भंडारी 2411500125	खूंटी पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)	कोटिवार मेधा सूची में BC-II दर्ज है जबकि BC-I श्रेणी से है।	आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में BC-1 श्रेणी में आवेदन दिया गया था तथा जो प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया गया उसमें पाया गया कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र 2013 में SDO, राँची से निर्गत किया गया है। जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर लागू होने की वजह से संबंधित जिला का ही स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्रभावी होगा जबकि दिनेनाथ भंडारी द्वारा खूंटी जिला के लिए आवेदन करते हुए राँची जिला का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र दिया गया है। अतः यह अमान्य होगा।	दिनेनाथ भंडारी (अनुक्रमांक-2411500125) द्वारा खूंटी जिला के स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किये जाने की वजह से खूंटी जिला के मेरिट लिस्ट में अमान्य घोषित किया जाता है।

क्रम सं०	नाम एवं अनुक्रमांक	आवेदित जिला एवं आवेदन श्रेणी	आवेदन	विवरण	अनुशांसा / अभ्युक्ति
3	मो० शलाउद्दीन 1211501064	धनबाद पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)	विकलांग श्रेणी में आरक्षण के संबंध में।	आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में BC-I श्रेणी में आवेदन दिया गया था परन्तु OH श्रेणी के संबंध में सूचना दर्ज नहीं किया गया था। प्रमाण पत्र सत्यापन में 2016 में सिविल सर्जन, धनबाद से निर्गत OH प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। टंकीय त्रुटि की वजह से अंतिम रूप से तैयार मेधा सूची में आवेदक OH श्रेणी दर्ज नहीं हो पाया है।	मो० शलाउद्दीन (अनुक्रमांक-1211501064) को धनबाद जिले के मेधा सूची में OH श्रेणी में लेने के उपरांत संशोधित मेधा सूची में मो० शलाउद्दीन(अनुक्रमांक-1211501064) का OH श्रेणी में मेधा क्रम OH W/L 3 होगा जो विकलांग श्रेणी के अंतर्गत क्षेत्रीय आरक्षण प्रावधान के अंतर्गत मान्य होगा। इसी के अनुरूप आगे का रिजल्ट क्रमांक संशोधित माना जाएगा।
4	अखिलेश्वर महतो 1411501458	राँची पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)	विकलांग श्रेणी में आरक्षण के संबंध में।	आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में BC-I श्रेणी में आवेदन दिया गया था परन्तु OH श्रेणी के संबंध में सूचना दर्ज नहीं किया गया था। प्रमाण पत्र सत्यापन में 2006 में सदर अस्पताल, राँची से निर्गत OH प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। टंकीय त्रुटि की वजह से अंतिम रूप से तैयार मेधा सूची में आवेदक OH श्रेणी दर्ज नहीं हो पाया है।	अखिलेश्वर महतो (अनुक्रमांक-1411501458) को राँची जिले के मेधा सूची में OH श्रेणी में लेने के उपरांत संशोधित मेधा सूची में अखिलेश्वर महतो (अनुक्रमांक-1411501458) को OH श्रेणी में मेधा क्रम OH W/L 1 माना गया है। इसी के अनुरूप आगे का रिजल्ट क्रमांक संशोधित माना जाएगा।
5	निरोद हरिजन 1411501068	राँची अनुसूचित जाति	राँची जिला के सामुदायिक समन्वयक (प्रशिक्षु) के मेधा सूची में प्रतीक्षा सूची 7 पर SC श्रेणी पुष्टिकरण के संबंध में।	आवेदक राँची जिला की सामुदायिक समन्वयक (प्रशिक्षु) के मेधा सूची के अनुसार SC W/L 7 पर है।	राँची जिला के सामुदायिक समन्वयक (प्रशिक्षु) की आवश्यकता के अनुरूप आरक्षण रोस्टर के अनुसार SC W/L 7 अभी तक पुष्टिकरण सूची में नहीं आया है। भविष्य में तय समय सीमा के अन्दर संबंधित श्रेणी में रिक्ति होने की दशा में ही इसके पुष्टिकरण की संभावना हो सकती है।